कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 3028 /ओबरा/15भू0ह0 **दिनांक– 29-6- 2021.**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर,
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलबल,
हाईडिल कालोनी गाजीपुर।

विषयः– 400के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रस्तावित 19.968हे0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव आन लाईन डाटा इन्ट्री (प्रस्ताव संख्या एफ0पी0/यू0पी0/टी0आर0ए0एन0एस0)/44753/2020) के उपरान्त प्रस्ताव जमा करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलबल हाईडिल कालोनी गाजीपुर के कार्यालय का पत्र संख्या–06/वि0प्र0उ0खण्ड–गा0/वन विभाग दिनांक–04.01.2021.

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 पावर ट्रांशमिशन कारपोरेशन लि0 वाराणसी के अन्तर्गत आने वाली 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.96हे0 वन भूमि (भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/04/1692/98/एफ0सी0 दिनांक–08.03.1999 एवं इसके कम में उप सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई–322/14–2–99/700(2)/97 दिनांक–01.10.1999 द्वारा 20 वर्षो के लिए लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक–02.10.2019 को समाप्त हो चुकी है) का लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव आन लाईन डाटा इन्ट्री करने के पश्चात परीक्षण हेतु प्रस्ताव की एक प्रति इस कार्यालय में प्रेषित किया गया था, जिसके कम में इस कार्यालय के पत्रांक– पत्रांक–1258/ओबरा/ दिनांक–11.11.2019 तथा पत्रांक–1753/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–11.01.2021 द्वारा संयुक्त निरीक्षण करनें हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला को निर्देशित करते हुए, उप खण्ड अधिकारी, विद्युत प्रेषण उपखण्ड, उ0प्र0 पावर ट्रांशमिशन कारपोरेशन लि0, रावर्टसगंज सोनभद्र पृष्ठांकित करते हुए अनुरोध किया गया कि आप क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला से सम्पर्क स्थापित कर प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करनें का कष्ट करें, जिसके कम में दिनांक–05.06.2021 को किया गया संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला के कार्यालय का पत्रांक–2020/चोपन/15भू0ह0 दिनांक–21.06.2021 के साथ संलग्न कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य उल्लिखित है:–

400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/ 04/1692/98/एफ0सी0 दिनांक–08.03.1999 तत्कम में उप सचिव उ00

F:\New Folder\AM-5.Docx

शासन के आदेश संख्या– जी0आई–322 / 14–2–99 / 700(2) / 97 दिनांक–01.10.1999 द्वारा 20 वर्षो के लिए उ0प्र0 पावर ट्रांशमिशन कारपोरेशन लि0 वाराणसी को लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक–02.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। जिसका लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव ''परिवेश'' पोर्टल के माध्यम से (प्रस्ताव संख्या–थ्ब्न्ध् ज्त्।छैध्44753द्ध 2020) दिनांक–22.07.2020 को आवेदन किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर के कार्यालय का पत्रांक–07 / वि0प्रे0खं0–गा0 / दिनांक– 04.01.2021 को प्रस्ताव हार्ड कापी में प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय में प्रेषित किया गया। 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज में धारा 4 में विज्ञापित भूमि को वन भूमि मानते हुए कुल 19.968हे0 क्षेत्र का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया था, तत्क्रम में भारत सरकार / उ0प्र0 सरकार द्वारा 19.968हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया। अवगत कराना है कि धारा 4 में विज्ञापित क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक–20.11.1986 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में हुए सर्वे सेटिलमेन्ट की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विज्ञप्ति संख्या–1136/81-2-2020-20(5)-2019 दिनांक 15.06.2020 द्वारा ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना निर्गत किया जा चुका है। ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 400 के0वी0 ओबरा ली0लो विद्युत पारेषण लाईन में ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	बिल्ली मारकुण्डी	6013 / 6014	0.3453
2	बिल्ली मारकुण्डी	5824	0.1454
3	बिल्ली मारकुण्डी	6221	4.7087
4	बिल्ली मारकुण्डी	5116	0.7521
5	बिल्ली मारकुण्डी	5511	0.1723
6	बिल्ली मारकुण्डी	5586, 5587, 5631, 5575	0.5252
7	बिल्ली मारकुण्डी	2327	0.6120
8	बिल्ली मारकुण्डी	2328	0.2508
योग:–			**7.5118हे0**

अतः 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन का पूर्व में स्वीकृत लीज 19.968हे0 के स्थान पर, धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में 7.5118हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है, जिसका लीज नवीनीकरण किया जाना है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप प्रस्ताव संख्या एफ0पी0 / यू0पी0 / टी0आर0ए0एन0एस0) / 44753 / 2020 को वापस लेते हुए, 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0

विद्युत पारेषण लाईन में धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में प्रभावित 7.5118हे0 वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव ''परिवेश'' पोर्टल पर आन लाईन आवेदन करनें का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या 3028 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाला को उनके पत्र संख्या–202/चोपन/15भू0ह0 दिनांक–21.06.2021 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C